प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय : बिलासपुर

एकल पीठ : माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायाधीश

रिट याचिका क्र. 3515/2003

याचिकाकर्ता : रूप नारायण साहू, पिता श्री साहनी राम, आयु लगभग 23 वर्ष, निवासी ग्राम चांटीपाली, तहसील मालखरौदा, जिला जांजगीर–चांपा (छग)।

विरुद्ध

उत्तरवादीगण :

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, पंचायत और ग्राम विकास विभाग मंत्रालय, डी. के. एस. भवन, रायपुर।
2. कलेक्टर, जांजगीर, जिला जांजगीर–चांपा (छ०ग०)।
3. अनुविभागीय अधिकारी, सक्ति, जिला जांजगीर–चांपा।
4. ग्राम पंचायत, चांटीपाली, द्वारा सरपंच–निर्मल साहू, पिता किरीटराम साहू, आयु लगभग 35 वर्ष, ग्राम चांटीपाली, तहसील मालखरौदा, जिला जांजगीर–चांपा (छत्तीसगढ़)।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, मालखरौदा, जिला जांजगीर–चांपा।
6. विकासखंड शिक्षा अधिकारी, विकासखंड मालखरौदा, तहसील मालखरौदा, जिला जांजगीर–चांपा (छग)।
7. नंद कुमार चंद्र, पिता धरमलाल चंद्र, आयु लगभग 25 वर्ष, निवासी ग्राम कलामी, पोस्ट मालखरौदा, जिला जांजगीर–चांपा (छग)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थिति: : याचिकाकर्ता के लिए श्री मनोज परांजपे, अधिवक्ता।

: उत्तरवादीगण संख्या 1, 2, 3 और 6/राज्य के लिए श्री आलोक बख्शी, शासकीय अधिवक्ता।

उत्तरवादी क्र. 5 के लिए श्री रणबीर सिंह मरहास, अधिवक्ता।

उत्तरवादीगण क्र. 4 और 7 के लिए कोई उपस्थित नहीं।

मौखिक आदेश

(दिनांक 2 फरवरी, 2006)

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत दायर वर्तमान याचिका प्रकरण संख्या 26/A–89/23/2002–03 में कलेक्टर, जांजगीर–चांपा द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.9.2003 (अनुलग्नक P–14) को चुनौती दी गई है।

2. संक्षेप में तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता को उत्तरवादी क्र. 4 द्वारा जारी किए गए आदेश दिनांक 8.9.2003 (अनुलग्नक पी–9) के अनुसार शिक्षा कर्मी के रूप में नियुक्त किया गया था। यह नियुक्ति शिक्षा संविदा शिक्षक (नियुक्ति एवं सेवा) नियम, 2001 के प्रावधानों के अंतर्गत की गई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. याचिकाकर्ता ने कई अन्य व्यक्तियों के साथ ग्राम पंचायत चांटीपाली, विकासखंड मालखरौदा, जिला जांजगीर–चांपा में शिक्षाकर्मी के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया था। अकेले याचिकाकर्ता का चयन किया गया था और आदेश दिनांक 8.9.2003 के अनुसार उसे नियुक्त किया गया था।

4. नियुक्ति आदेश के नियमों और शर्तों के खंड–3 में प्रावधान है कि याचिकाकर्ता की सेवा एक महीने के नोटिस या नोटिस के बदले एक महीने के वेतन के साथ समाप्त की जा सकती थी।

5. उत्तरवादी क्रमांक 7 ने शिक्षाकर्मी के पद पर चयन न होने से व्यथित होकर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), शक्ति को शिकायत की थी। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शक्ति के समक्ष शिकायत विचाराधीन थी, जब कलेक्टर, जांजगीर–चांपा ने मध्य प्रदेश पंचायत (अपील और पुनरीक्षण) नियम, 1995 के नियम 5 के प्रावधानों के तहत अपनी

शक्ति का प्रयोग करते हुए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शक्ति के समक्ष लंबित मामले को स्वप्रेरणा से अपने कार्यालय में प्रत्याहृत कर लिया था।

6. कलेक्टर अर्थात उत्तरवादी क्र. 2 ने अपने आदेश दिनांक 30.9.2003 (अनुलग्नक पी – 14) द्वारा, शिकायतकर्ता को सुनने के बाद और याचिकाकर्ता को सुनवाई का कोई उचित अवसर प्रदान किए बिना, याचिकाकर्ता के पक्ष में पारित नियुक्ति आदेश दिनांक 8.9.2003 को इस आधार पर रद्द कर दिया कि शिकायतकर्ता अर्थात नंद कुमार चंद्र ने याचिकाकर्ता से अधिक अंक प्राप्त किए हैं।

7. जो भी हो, यह स्वीकार किया गया है कि याचिकाकर्ता को नियुक्ति आदेश में उल्लिखित सेवा समाप्ति की तिथि से पहले कोई कारण बताओ नोटिस नहीं दिया गया था। अन्यथा भी, यदि कोई आदेश किसी व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, तो वह व्यक्ति सुनवाई का अवसर पाने का हकदार है, जिससे संबंधित व्यक्ति को आदेश पारित करने से पहले अपना मामला रखने में सुविधा हो।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. वर्तमान प्रकरण में, कलेक्टर, जिला जांजगीर–चांपा द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.9.2003 से याचिकाकर्ता के हित पर निश्चित रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। याचिकाकर्ता को अपना प्रकरण रखने के लिए सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया है।

9. उपर्युक्त कथित कारणों से, मेरा अभिमत है कि आक्षेपित आदेश दिनांक 30.9.2003 दोषपूर्ण है और रद्द किए जाने के योग्य है। तदनुसार, याचिका स्वीकार की जाती है। वादव्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

सही/–
सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायाधीश

बबलू

= = = = 0000= = = =

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur